

## कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।

F14 ( ) 2016/FCA/PCCF/CCF-IV Jaipur Dated 9.8.2017

सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग राजस्थान के अधिशासी अभियंता खण्ड शाहबाद बांरा द्वारा Construction of BT road from Mamli Laxmipura to Patpadi में जिला बांरा एवं उप वन संरक्षक बांरा की कुल 01.14 है0 वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFWCP पर प्रस्ताव सं. **FP/RJ/ROAD/7127/2014** पर दिनांक 07.08.2016 को रजिस्टर किया गया है। मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा प्रस्ताव में क्षेत्रीय कार्यालय लखनउ द्वारा चाही गई सूचना के अनुसार प्रस्ताव संशोधित कर भिजवाया गया है। प्रस्ताव का परीक्षण करने पर निम्नानुसार वस्तुस्थिति सामने आयी है।

**A – Compliance of EDS dated 14-7-2017 is awaited:**

1. बिन्दु संख्या 1 की पालना अपूर्ण। वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जारी प्रमाण पत्र प्रस्ताव के बिन्दु संख्या के में संलग्न कर दिये गये है। किन्तु मूल प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. बिन्दु संख्या 2 की पालना अपूर्ण। प्रस्ताव में भूसंदर्भित मानचित्र प्रस्तुत किया गया है किन्तु उसमें सभी कानर्स के जी0पी0एस0 कोर्डिनेटस नहीं दिये गये है।
3. बिन्दु संख्या 3 की पालना अपूर्ण। क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना संलग्न की गई है जो श्रमिक दर 166/– प्रति मानव दिवस पर आधारित है वर्तमान में श्रमिक दरों (201/– प्रति मानव दिवस) में परिवर्तन हो चुका है एवं राज्य सरकार द्वारा राशि 155000/– प्रति है0 का मॉडल भी अनुमोदित किया जा चुका है अतः क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना इसी अनुरूप आनी प्रस्तावित है।

**B – Additional information as required by MOEF:**

1. प्रस्ताव में क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण की स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। प्रस्ताव में जिला कलेक्टर द्वारा आरक्षित समेकित भूमि (103.4 है0) का डिजिटल मानचित्र प्रस्तुत किया गया है एवं जिला कलेक्टर द्वारा भूमि आरक्षित किये जाने का आदेश संलग्न किया गया है किन्तु इससे यह प्रतीत नहीं होता है कि उक्त प्रस्ताव की भूमि इसमें सम्मिलित है अथवा नहीं, साथ ही उक्त भूमि किस जगह दी गई है।
2. बिन्दु संख्या 3 में एन0पी0वी0 की राशि की गणना संलग्न नहीं की गई है।
3. प्रस्ताव की पालना देरी से भिजवाये जाने का कारण एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उलंघन पर उप वन संरक्षक की स्पष्ट टिप्पणी।
4. उक्त बिन्दुओं की सूचना हार्ड प्रति में संलग्न नहीं की गई है। जो प्रस्तावित है।

उक्त सूचना ऑनलाईन भिजवाने हेतु मुख्य वन संरक्षक कोटा को निर्देशित किया जाता है।

(P.C. KUMAWAT)  
DCF (FCA)  
JAIPUR